पत्रांक 5721 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0कर / विधि–अनुभाग / 2013–14 / दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादून:: दिनांक:: 14 जनवरी, 2015

//परिपत्र//

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के प्राविधानों के अन्तर्गत, केन्द्रीय "घोषणा पत्रों" को, कर की छूट अथवा रियायत के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करने एवं इस हेतु कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनुमन्य किए जा रहे अतिरिक्त समय एवं उनके द्वारा किए जा रहे आदेशों के संबंध में निम्न प्रश्नों पर शासन स्तर से **मार्गदर्शन अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अनुरोध मुख्यालय द्वारा किया गया था** :–

प्रश्न–1 :
क्या किसी व्यापारी के संबंध में, कर निर्धारक प्राधिकारी के द्वारा, किसी कर निर्धारण वर्ष हेतु वैट धारा 25(7) सपठित केन्द्रीय धारा 9(2) के अन्तर्गत अपने द्वारा जारी किए गए वार्षिक कर निर्धारण आदेश के बाद (beyond) की अवधि के लिए भी, कर की छूट अथवा रियायत के प्रमाण स्वरूप केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्राविधानित "घोषणा पत्र" दाखिल करने हेतु, समय अनुमन्य किया जाना, धारा 8(4) सपठित "The CST (R&T) Rules, 1957" के नियम 12(7) के अन्तर्गत विधिक रूप से उचित है ?

प्रश्न–2 :
यदि प्रश्न 1 का उत्तर 'हॉं' है और कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा किसी अन्तर्राज्यीय बिक्री के संबंध में "घोषणा पत्र"(फार्म–'सी0') दाखिल करने हेतु ऐसा समय अनुमन्य कर दिया गया है जो वैट धारा 25(7) सपठित केन्द्रीय धारा 9(2) के अन्तर्गत जारी किए गए वार्षिक कर निर्धारण आदेश के बाद की अवधि में पड़ता है और ऐसे वार्षिक कर निर्धारण आदेश में ऐस सम्व्यवहार पर पूर्ण दर से कर आंकलित करना परन्तु पूर्ण दर से अंकलित कर की राशि एवं रियायती दर 2% की दर से आंकलित कर की राशि के अन्तर को **स्थगित** करने का आदेश कर देना क्या विधिक रूप से उचित है ?

प्रश्न–3 :
यदि प्रश्न 1 का उत्तर 'हॉं' है तो ऐसी दशा में जहॉं वार्षिक कर निर्धारण आदेश वैट धारा 25(7) सपठित केन्द्रीय धारा 9(2) के अन्तर्गत पारित किया जा चुका है और कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय बिक्री के सम्व्यवहार के संबंध में फार्म–'सी0' दाखिल करने हेतु ऐसे अतिरिक्त समय अनुमन्य किया है जो कर निर्धारण आदेश जारी होने के बाद की अवधि में पड़ता है और व्यापारी द्वारा ऐसे अतिरिक्त समय में "घोषणा पत्र"(फार्म–'सी0') दाखिल कर दिया जाता है तो ऐसे "घोषणा पत्र"(फार्म–'सी0') का लाभ देते हुए वैट धारा 25(7) सपठित केन्द्रीय धारा 9(2) के अन्तर्गत पूर्व में जारी किए गए वार्षिक कर निर्धारण आदेश में निर्धारित किए गए कर अथवा कर की मांग की पुनर्गणना करके उसे एक **"विविध आदेश"** के द्वारा कम किया जाना अथवा पुनर्निधारित किया जाना क्या विधिक रूप से उचित है ?

प्रश्न–4 :
यदि प्रश्न 1 का उत्तर 'हॉं' है तो ऐसी दशा में जहॉं वार्षिक कर निर्धारण आदेश वैट धारा 25(7) सपठित केन्द्रीय धारा 9(2) के अन्तर्गत पारित किया जा चुका है और कर निर्धारक प्राधिकारी

द्वारा केन्द्रीय बिक्री के सम्व्यवहार के संबंध में "घोषणा पत्र"(फार्म–'सी0') दाखिल करने हेतु ऐसा अतिरिक्त समय अनुमन्य किया है जो कर निर्धारण आदेश जारी होने के बाद की अवधि में पड़ता है और इस अतिरिक्त समय तक व्यापारी द्वारा कुछ "घोषणा पत्र"(फार्म–'सी0') जमा न करने की दशा में अथवा दाखिल किए गए "घोषणा पत्र"(फार्म–'सी0') के असत्यापित/फर्जी पाये जाने की दशा में, कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा अपने द्वारा पूर्व में पारित किए गए वार्षिक कर निर्धारण आदेश में लगाए गए कर की पुनर्गणना/पुनर्निधारण करके उसे एक **"विविध आदेश"** के द्वारा बढ़ाया जाना अथवा पुनर्निधारित किया जाना क्या विधिक रूप से उचित है ?

प्रश्न–5 :

यदि प्रश्न 1 का उत्तर 'हॉ' है तो क्या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(4) सपठित "The CST (R&T) Rules, 1957" के नियम 12(7) के अन्तर्गत केन्द्रीय "घोषणा पत्र" दाखिल करने हेतु, कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा असीमित अवधि के लिए समय अनुमन्य किया जा सकता है ?

उपरोक्त प्रश्नों के संबंध में शासन द्वारा अपने पत्र सं0 29 दिनांक 03 जनवरी, 2015 द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया है :–

प्रश्न 1 का उत्तरः

किसी व्यापारी के संबंध में कर निर्धारक प्राधिकारी के द्वारा किसी कर निर्धारण वर्ष हेतु वैट धारा 25(7) सपठित केंद्रीय धारा 9(2) के अन्तर्गत अपने द्वारा जारी किए गए वार्षिक कर निर्धारण के बाद (beyond) की अवधि के लिए भी कर की छूट अथवा रियायत के प्रमाण स्वरूप केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्राविधानित "घोषणा पत्र" दाखिल करने हेतु समय अनुमन्य किया जाना, धारा 8(4) सपठित "The CST (R&T) Rules, 1957" के अन्तर्गत **विधिक रूप से उचित नही है।**

प्रश्न 2 का उत्तरः

अधिनियम के किसी भी प्राविधान में कर निर्धारण अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह आरोपित कर को स्थगित कर सकें। यदि, ऐसा 'स्थगन' किसी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी को अनुमन्य किया गया है तो वह **विधिक रूप से उचित नहीं है।**

प्रश्न 3 का उत्तरः

न्याय विभाग का मत है कि "In fact the Rule 12(7) of (R&T) Rules, 1957 provides that the declaration in Form C shall be furnished to the prescribed authority within 3 month after the end of the period to which the declaration or certificate relates. The above expression of Rule 12(7) stipulates a maximum period of 3 months, which may vary from one day to ninety days. The legislature while enacting the above rule had intended that the prescribed authority assessing the tax shall not move beyond the assessment period. Now if the beyond the assessment period than this is omission on the part of assessing the trader to file prescribed Form C even if beyond the assessment period than the right accrued on the favour or trader shall continue to survive and the trader shall not suffer for any omission committed by the assessing officer.

Liberty to file prescribed Form C is always occasioned by its ancillary effect, means if certain privileges, convenience, benefits are attached and the traders are entitled to the above benefits on the submission of requisite Form C then the right of the traders cannot extinguish due to error/ omission of the assessing officer.

To avoid the above situation the administrative department may develop a standard operating procedure (SOP) directing every assessing officer not to travel beyond the assessment period in granting permission to file Form C or other procedure deemed fit, when the requisite Form C if submitted shall have it bearance on the final outcome of tax assessed. In case assessing officer commits an error or omission by enlarging the time to file Form C beyond the assessment period then no sooner the leverage has been granted to the trader. He acrures the right to ramify the assessed tax and the traders shall not suffer for folly and the mistake of the assessing officer."

प्रश्न 4 का उत्तर:

कर निर्धारक प्राधिकारी के द्वारा अपने पूर्व पारित किए गए वार्षिक कर निर्धारण आदेश में लगाए गए कर की पुनर्गणना/पुनर्निर्धारण करके उसे एक "विधिक आदेश" के द्वारा बढ़ाया जाना अथवा पुनर्निधारित किया जाना **विधिक रूप से उचित नहीं है।**

प्रश्न 5 का उत्तर:

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(4) सपठित "The CST (R&T) Rules, 1957" के नियम 12(7) के अन्तर्गत केन्द्रीय "घोषणा पत्र" दाखिल किए जाने हेतु, कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा असीमित अवधि के लिए समय **अनुमन्य नहीं किया जा सकता है।**

अतः उपरोक्तानुसार शासन द्वारा दिए गए मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर।

पृ0प0सं0 572/ दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमांऊ जोन रूदपुर।
4– एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
5– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**
6– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
7– **श्री शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।**
8– Swastk Publication एस0ई–233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
9– Law Book Traders 10–नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।
10– डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।
11– अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्यौगिक क्षेत्र देहरादून।
12– प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।

13– दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।
14– प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी 81– मोती बाजार देहरादून।
15–The whole sale dealers Association 14– आढ़त बाजार देहरादून।
16– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।
17– कार्यालय अधीक्षक/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर।

O/C